

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत सहायक कलक्टर मुकाम शेखा
आनन्दी बनाम मोती
 सम मुकदमा हाजिरी नं. 6/2019 सन _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

6/7/2019 वकील उभयपक्ष द्वारा वास्तो जवाब पार्चमा-पत्र काबल अंतरिम आरनाई निवेधाडा निरस्त करने व अधार्चि एं. 2 की तलकी हेतु तलवाना एवम् न चम करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 12-8-2019 को पेश हो। (क)

12/8/2019 आज PO सहव अन्य काम में वीटिंग/पुनाव कार्य में व्यस्त हूँ। दोरे में/दोर हात की स्थिति को से ता.पेशी दी गई। यह आदेशों को पालना में दिनांक 24-9-2019 को पेश हों। (सरम)

24/9/2019 पत्रावली पेश हुई। पार्चि व अधार्चि के अधिवक्ता को का-का भावाज रिपवाई गई। (पु)। का-का सक-सक का भावाज रिपवाने के बाद भी पार्चि व अधार्चि के अधिवक्ता में से कोई सुपास्केत नहीं हुआ है। अतः पार्चि व अधार्चि के अधिवक्ता में से कोई सुपास्केत नहीं होने के कारण पार्चि का पार्चमा-पत्र आरनाई निवेधाडा आरना हाजिरी आरना दरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभा होकर नम्बर से काम होकर प्रकृत शारिफ हो। (क)
 सहायक कलक्टर
 शेखा

